epaper
हिन्दुस्तान

सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन

डिजिटल होगी वाहन स्क्रैपिंग की प्रक्रिया

14/03/2022

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। आम लोगों के लिए वाहन कबाड़ (स्क्रैपिंग) प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने सरकार ने इसे डिजिटल करने का फैसला किया है। इसमें वाहन मालिकों को प्रमाणपत्र डिजिटल मिलेगा और इसकी ज्यादातर प्रक्रिया डिजिटल होगी। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी संशोधन के कार्य) नियम, 2022 से संबंधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।

पिछले साल सितंबर में मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी के कार्य) नियम जारी किए गए थे। नया नोटिफिकेशन उसी का संशोधित रूप है। यह संशोधन वाहन मालिकों, आरवीएसएफ ऑपरेटरों, डीलरों आदि के लिए वाहन स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने के लिए किए गए हैं।

घर बैठे स्क्रैप के लिए आवेदन कर सकेंगे

संशोधित प्रावधान के तहत वाहन मालिकों को वाहन स्क्रैपिंग के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने की सुविधा है। स्क्रैप करने के लिए वाहन मालिकों को डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद के लिए, आरवीएसएफ सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र वाहन मालिकों को डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे और इनकी वैधता की अवधि दो वर्ष की होगी।

वाहन उद्योग को मिलेगी रफ्तार

स्क्रैपिंग नीति से देश में वाहन उद्योग के साथ रोजगार को भी रफ्तार मिलेगी। भारतीय वाहन उद्योग सालाना टर्नओवर करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये का है। इसे पांच साल में 15 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य है।

ब्लैकलिस्ट वाहन का आवेदन नहीं

वाहन मालिक द्वारा आवेदन जमा करने से पहले परिवहन विभाग के वाहन डेटाबेस से की जाने वाली आवश्यक जांच को जोड़ा गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहन को ब्लैकलिस्ट करने पर आवेदन नहीं कर सकेंगे।

10 से 12 फीसदी नए वाहनों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद स्कैपिंग नीति से

02 साल तक वैध रहेगा डिजिटल स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र

05 फीसदी की छूट नए वाहन खरीदने पर मिलेगी स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र से

बदलाव